(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1307

भगुन्ती पत्नी श्री मातादीन कुम्हार
निवासी– देवेन्द्रपुरा झांसी रोड मऊ तिगैला तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....आवेदिका

विरूद्ध

1 अंगूरी पत्नी सतीश कुमार यादव
2 आशारानी पत्नी नरेन्द्र बहादुर खरे
3 सुमन पत्नी राजेन्द्र कुमार गुप्ता
4 सुमन पत्नी मनोहर सिंह
5 निर्मला पत्नी राजेन्द्र बहादुर खरे
6 कुसमा देवी पत्नी देवी सिंह यादव

निवासीगण– निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

7 मोहनलाल पुत्र श्री मातादीन कुम्हार
8 हरी कौशल पुत्र श्री मातादीन कुम्हार
9 छक्कीलाल पुत्र श्री मातादीन कुम्हार
10 गीता देवी पुत्री मातादीन कुम्हार

निवासीगण – देवेन्द्रपुरा झांसी रोड मऊ तिगैला तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

11 श्याम कुवंर पुत्री जगन कुम्हार पत्नी तिजूलाल

निवासी – वार्ड नं. 5 वाइपास रोड निवाडी

12 पुरूषोतम पुत्र नंदकिशोर गुप्ता
13 राजेश कुमार पुत्र श्री नंदकिशोर गुप्ता
14 मनोज कुमार पुत्र श्री नंदकिशोर गुप्ता

निवासी – तिगैला निवासी तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ़ म.प्र.

15 सत्येन्द्र पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
16 अंजू लता पत्नी सतेन्द्र गुप्ता

निवासी – दंगयाना मोहल्ला निवासी निवाडी तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ़ म.प्र.

18 राजेश कुमार पुत्र श्री जय कुमार जैन

19 सरोज पत्नी आनन्द कुमार जैन

20 विकास पुत्र श्री जय कुमार जैन

21 खेमचन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन
निवासी – सकरार तहसील मऊरानीपुर जिला – झांसी (उ.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, तहसीलदार निवाडी के समक्ष आवेदिका की ओर से एक आवेदन पत्र भूमि खसरा नं. 305/1 के तर्मीम कराये जाने बावत् प्रस्तुत किया गया था। जिसपर तहसीलदार निवाडी द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 22/अ–3/2010–11 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 24.05.2011 पारित किया गया।

2 यहकि, तहसीलदार निवाडी के उक्त आदेश के विरूद्ध अधिक समय पश्चात् अपील वर्ष 2014 में उपखण्ड अधिकारी निवाडी के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 22/2014–15 प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय तर्क श्रवण कर परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 11.12.2017 को पारित किया गया जबकि परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र उभय पक्षो को सुनवाई किये जाने के पश्चात् ही निराकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाडी का आदेश एक पक्षीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा यह वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1307 भगुन्ती विरूद्ध अंगुरी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018 16.10.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका भगुन्ती की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदिका के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 22/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार - "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण	

हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 6.10.18
सदस्य